न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / प्रा.पत्र / 2017	20.01.2017	09.12.2019

सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

रामदेव आ. डालू जाति रेगर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 12.11.1975 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री प्रहलाद वर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी रामदेव आ. डालू जाति रेगर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 1396 रकबा 05 बीघा ग्राम करवर तहसील नैनवां का निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति सोभाग, कन्हैयालाल, शोजी आदि का कब्जा काश्त है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को खसरा नं. 1396/1 रकबा 05 बीघा दिनांक 12.11.1975 को आवंटन हुई थी। आवंटन के समय से ही उक्त भूमि पर

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अप्रार्थी का कब्जा काश्त है और लगातार काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में भी मौके पर आज भी अप्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। आवंटित भूमि पर आवंटी गैरखातेदार दर्ज है। प्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी से मिलीभगत करके कब्जा रिपोर्ट बनाई है। जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है एवं ना ही अप्रार्थी से पूछताछ की गई है तथा ना ही अप्रार्थी के गवाहान से पूछताछ की गई है। मौका रिपोर्ट गुपचुप तरीके से बनाई गई है। अप्रार्थी द्वारा कोई आवंटन की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। तहसीलदार ने अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी भूमि को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी रामदेव आ. डालू जाति रेगर निवासी करवर को ग्राम करवर में खसरा नं. 1396 रकबा 05 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया तथा कब्जा संभलाने के पश्चात आवंटी का आवंटित भूमि का बाद जांच पट्टा जारी किया गया। आवंटी आवंटित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है अन्य का कब्जा काश्त है लेकिन प्रार्थी ने अन्य का कब्जा काश्त होने बाबत् मात्र पटवारी रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे आवंटी के अलावा अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। प्रार्थी ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069–2072 पेश की है। जिसमें भी आवंटी के नाम ही फसल सरसो दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 12.11.1975 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)